



## उत्तर प्रदेश मद्रसा शक्तिषा बोरुड अधनियिम, 2004

### प्रलिमिस् के लयि:

[धरुनरिपेकषता](#), [मौलकि अधकिर](#), [शक्तिषा का अधकिर \(RTE\) अधनियिम- 2009](#), [सरुव शक्तिषा अभयान](#), [PM SHRI सुकुल](#)

### मेनुस् के लयि:

शक्तिषा, सरकारी नीतयिँ और हसुतकषेप, नीतयिँ के डुजिाइन और कारुयानुवयन से उतुपनुन होने वाले मुदुदे

[सुरोत: इंडयिन एकुसपरेस](#)

## चरुचा में कुरुयुँ?

इलाहाबाद उकुच नुयायालय (HC) ने उतुतर प्रुदेश मद्रसा शक्तिषा बोरुड अधनियिम, 2004 को असुवैधानकि करार देते हुए रुदुद कर दयिा है ।

## उतुतर प्रुदेश मद्रसा शक्तिषा बोरुड अधनियिम, 2004 कुरुया है?

### ■ अधनियिम का अवलुकन:

- इस अधनियिम का उदुदेशुय उतुतर प्रुदेश राजुय में मद्रसुँ (इसुलामकि शुकुषणकि सुसुथानुँ) के कामकाज को वनियिमति और नयितुरुति करुना है ।
  - इसने पूरे उतुतर प्रुदेश में मद्रसुँ की सुथापना, मानुयता, पाठुयकरुम और प्रुशासन के लयिे एक फुरुेमवरुक प्रुदान की ।
  - इस अधनियिम के तहत, राजुय में मद्रसुँ की गतविधिषिँ की देखरेख और प्रुयवेकषण के लयिे उतुतर प्रुदेश मद्रसा शक्तिषा बोरुड की सुथापना की गई थी ।

### ■ अधनियिम के सुंबंध में चतिाँ:

#### ○ सुवैधानकि उलुलुघन:

- इस अधनियिम को इलाहाबाद HC दुरुवा असुवैधानकि माना गया है, कुरुयुकुयिह धारुमकि आधर प्रुथुक शक्तिषा को बढुवा देता है, जो भारतीय सुवधिान में नहिति [धरुनरिपेकषता के सुदिधांत](#) और [मौलकि अधकिरुँ](#) का खंडन करुता है ।
- सुवधिान के अनुकुषेद 21A दुरुवा अनविरुय 14 वरुष की आयु तक गुणवतुतापुरुण अनविरुय शक्तिषा सुनशिचति करुने में वफिल रहने के लयिे अधनियिम के प्रुावधानुँ की आलुकुना की गई ।
- [शक्तिषा का अधकिर \(Right to Education- RTE\) अधनियिम, 2009](#) से मद्रसुँ को बाहर करुने के सुंबंध में चतिाँ वुयकुत की गई, जसिसे सुंभावति रूप से ङातुरु सारुवभौमकि और गुणवतुतापुरुण सुकुली शक्तिषा से वंचति हो जाँगे ।

#### ○ सीमति पाठुयकरुम:

- मद्रसा पाठुयकरुम की जाँच करुने पर, नुयायालय ने आधुनकि वषिषुँ पर सीमति जुरुोर के साथ इसुलामी अधुययन पर अतुयधकि धुयान कुँदरुति करुने वाले पाठुयकरुम पर धुयान दयिा ।
- ङातुरुँ को आधुनकि वषिषुँ के साथ प्रुगता के लयिे इसुलाम और उसके सुदिधांतुँ का अधुययन करुना आवशुयक था, जनिहँ अकुसर वैकलुपकि के रूप में शामलि कयिा जाता था या नुयूनतम रूप से प्रुसुतुत कयिा जाता था ।

#### ○ उकुच शक्तिषा मानकुँ के साथ सुंघरुष:

- इस अधनियिम को [वशिषुवदुयालय अनुदान आयुग अधनियिम, 1956](#) की धरुा 22 के साथ वरुिधाभासी माना गया, जसिसे उकुच शक्तिषा मानकुँ के साथ इसकी अनुकुलता पर सुवाल खडे हो गए ।

### ■ उकुच नुयायालय का फुँसला:

- इलाहाबाद उकुच नुयायालय ने धरुनरिपेकष सुदिधांतुँ और मौलकि अधकिरुँ के उलुलुघन के कारण उतुतर प्रुदेशमद्रसा शक्तिषा बोरुड अधनियिम, 2004 को असुवैधानकि ङुषति कर दयिा ।
  - इसने राजुय सरकार को मद्रसा के ङातुरुँ को मानुयता प्रुापत नयिमति सुकुलुँ में सुमायुजति करुने का नरुिदेश दयिा और इसुलामी अधुययन पर कुँदरुति सीमति पाठुयकरुम के सुंबंध में चतिा वुयकुत की ।
- फुँसले ने ङातुरुँ की गुणवतुतापुरुण शक्तिषा तक पहुँच पर सुंभावति प्रुतकुल प्रुभावुँ पर प्रुकाश डाला और सुवैधानकि उलुलुघनुँ के सुंबंध में कानुनी तरुक दयिा ।

## भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

प्रावधान	अनुच्छेद
राज्य छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा	अनुच्छेद 45
वर्ष 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग III में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया और साथ ही छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया।	अनुच्छेद 21A
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।	अनुच्छेद 46
किसी बंदोबस्ती अथवा ट्रस्ट के तहत स्थापित एवं राज्य द्वारा प्रशासित कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता।	अनुच्छेद 28
अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा	अनुच्छेद 29
अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार	अनुच्छेद 30
माता-पिता तथा अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने होंगे।	अनुच्छेद 51A(k)

## शिक्षा से संबंधित पहल क्या हैं?

- [सर्व शिक्षा अभियान](#)
- [राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान](#)
- [राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान](#)
- [प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम](#)
- [परजत्राता](#)
- [मध्याह्न भोजन योजना](#)
- [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ](#)
- [पीएम शरी सक्ल](#)

### दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नीतियों की अभिकल्पना और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

प्रश्न. भारतीय संविधान के नमिनलखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पंचम अनुसूची
4. षष्ठ अनुसूची
5. सप्तम अनुसूची

नमिनलखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर- (d)

**??????:**

प्रश्न. भारत में डजिटल पहल ने कसल प्रकार से देश की शकलषा वयवस्था के संचालन में योगदान कथल है? वसलतुत उत्तर दीजयल । (2020)

प्रश्न. जनसंख्यल शकलषल के मुख्य उददेश्यों की ववलचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर वसलतुत प्रकलश डललयल । (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/up-board-of-madarsa-education-act,-2004>

